पत्र संख्या-बजट-37(08)-अनाच्छादित-2-मु0व्य0दु0बी0यो0(2023-24)// 768 // राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक ::: 14.03 ,2024

संयुक्त आयुक्त (कार्य0) राज्य कर,
बॉदा, मुजफ्फरनगर।

कृपया आपके सम्भाग से सम्बन्धित सूची में अंकित प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, अंकित बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-189/11-4-2023-400(94)/ 2000 टी0सी0 दिनांक 11-05-2023 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें। **केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यह आश्वस्त कर लिया जाए कि मृत व्यापारी उत्तर प्रदेश राज्य का का निवासी था (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत दावेदार का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए)तथा उनका CGST पंजीयन उत्तर प्रदेश राज्य में था।**

उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि का बजट आवंटन किया जा चुका है :-

क0 सं0	जोन का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Jhansi	हमीरपुर	स्व0 श्री रमाकान्त साहू	सर्वश्री मंशाराम साहू, कमीशन एजेन्ट, हमीरपुर	21-06-2018	श्रीमती विनीता साहू, पत्नी	10.00 लाख
2	Jhansi	हमीरपुर	स्व0 श्री छत्रपाल सिंह	सर्वश्री साक्षी इन्टरप्राइजेज, हमीरपुर	26-07-2023	श्रीमती राजकुमारी, पत्नी	10.00 लाख
3	Saharanpur	मुजफ्फरनगर	स्व0 श्री संजीव कुमार	सर्वश्री कुबेरदत्त संजीव कुमार, मुजफ्फरनगर	08-01-2012	श्रीमती बॉबी त्यागी, पत्नी	423779.00
कुल योग						2423779.00 लाख	

उक्त मद में आवंटित बजट को किसी भी दशा में लैप्स न होने दिया जाए, तथा सम्बन्धित प्रकरणों के भुगतान के पश्चात् प्रकरण के भुगतान की स्थिति को विभागीय वेबसाइट के Vyas पोटर्ल पर भी Update कर दिया जाए।

यह पत्र आयुक्त,राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(महा मिलिन्द लाल)
अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर आयुक्त, राज्य कर, झांसी जोन, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया उपरोक्त प्रकरणों को अपने Vyas पोटर्ल से सम्बन्धिंत आहरण वितरण अधिकारी के पोटर्ल पर अग्रसारित करने का कष्ट करें।

2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित की उक्त प्रकरणों में भुगतान के पश्चात् अपने Vyas पोटर्ल पर Update करना सुनिश्चित करें।

3- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

4- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

to jc.doc